निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 श्रावण 1946 (श0)

(सं0 पटना 682) पटना, मंगलवार, 23 जुलाई 2024

सं० 3ए–2–वे०पु०–09/2016–7831/वि०

वित्त विभाग

संकल्प

22 जुलाई 2024

विषयः–30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभों की गणना हेतु वैचारिक (Notional) वेतनवृद्धि अनुमान्य करने के सम्बन्ध में।

बिहार सेवा संहिता के नियम–83 एवं 85 में कालमान वेतनवृद्धि का प्रावधान है।

2) राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर निर्गत वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3590, दिनांक–24/05/2017 की कंडिका–9 में Date of Next Increment in revised pay structure का प्रावधान निम्नवत् हैः–

"There shall be two dates for grant of increment namely, 1st January and 1st July of every year, instead of existing date of 1st July.

Provided that an employee shall be entitled to only one annual increment either on 1st January or 1st July depending on the date of his appointment, promotion or grant of financial upgradation."

उक्त संकल्प एवं बिहार सेवा संहिता के प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार के कर्मियों को क्रमशः 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई को वार्षिक वेतनवृद्धि प्रदान की जाती है। दिनांक–31 दिसम्बर एवं 30 जून को सेवानिवृत्त होनेवाले राज्य कर्मियों को क्रमशः 01 जनवरी एवं 01 जुलाई को सेवा में नहीं होने के कारण वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं है।

वैसे राज्य कर्मी, जो 31 दिसम्बर एवं 30 जून को सेवानिवृत्त होते हैं, उनके द्वारा 01 जनवरी अथवा

01 जुलाई को वैचारिक वेतनवृद्धि की अनुमान्यता के संबंध में विभिन्न विभागों से प्रस्ताव प्राप्त हो रहे थे।

3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No. 2471/2023 में दिनांक–11/04/2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक–11/04/2023 के उपरांत 30 जून/31 दिसम्बर को वेतनवृद्धि हेतु एक साल की अर्हक सेवा पूर्ण कर वार्धक्य सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मियों को मात्र पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की गणना हेतु एक वैचारिक (Notional) वेतन–वृद्धि अनुमान्य किये जाने का निर्णय विचाराधीन था।

4) वित्त विभागीय संकल्प संख्या–6649, दिनांक–28/07/2023 के द्वारा W.P. (C) No. 643/2015 ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक–19/05/2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में उपर्युक्त प्रावधान राज्य के सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों के लिए अनुमान्य किया गया है।

5) सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक–11/04/2023 के उपरान्त 30 जून/31 दिसम्बर को वार्धक्य सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों की गणना हेतु वैचारिक (Notional) वेतनवृद्धि अनुमान्य करने का निर्णय लिया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से।
लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 682-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in